दिनांक 20/4/23

20.04.23 पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थना पत्र बहस मूल पर भाषण की गई। बहस के दौरान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:39 IST
Reason: SelfAttested

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालन क्रमांक
	प्रार्थी के अधिवक्ता के अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि बिना विधिवत बंटवारा किए ही आवेदक के क्रय किए गए हिस्से भूमि पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने एवं उक्त भूमि को दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान करने पर आमादा है, उक्त निवास से अनावेदकगण ने अपने घरवालों से दिनांक 1-7-22 को रात्री में आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि के चारों ओर तारबन्दी को उखाड़ दी तथा उक्त भूमि से आवेदक के हिस्से की भूमि पर जबरन निर्माण व उक्त भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आवेदक के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर कोई कच्चा व पक्का निर्माण न करें ना ही उक्त भूमि दीगर व्यक्ति को बेचान व रहन करे। उक्त भूमि के उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान न तो अनावेदकगण स्वयं डाले, ना ही अपने परिवारजन, रिश्तेदार, नौकर एजेन्ट आदि से करवाये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अतः अनावेदकगण को दावे के निर्णय तक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण [illegible] निषेधाज्ञा से दावा का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम हांसलपुर [illegible] भूमि खसरा नं. 1189 रकबा [illegible] 1190 रकबा 1.72 हे. में प्रार्थी एवं अप्रार्थी [illegible] राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। [signature] 20/4/23	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Sin Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:39
Reason: SelfAttested